भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2747
दिनांक 19.12. 2023/ 28 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी

†2747. श्री राजकुमार चाहर:
श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
श्री विवेक नारायण शेजवलकर:
श्री शंकर लालवानी:
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:
डॉ. संजय जायसवाल:
डॉ. राजदीप राय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की रणनितियों और कार्रवाइयों ने संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाओं को कम करने में योगदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद क्षेत्र के विकास, विशेषकर निवेश में वृद्धि पर इसके क्या प्रभाव हुए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): हाँ श्रीमानजी।

(ख): सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है । सरकार का दृष्टिकोण आतंक पारिस्थितिकी-तंत्र को ध्वस्त करना है । जम्मू और कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा रहा है । इस संबंध मे अपनाई गई रणनीतियों और की गई कार्रवाइयों में शामिल हैं-रणनीतिक स्थानों पर चौबीस घंटे नाके लगाना, स्थायी गार्डों के रूप में सामूहिक सुरक्षा, आतंकवादी संगठनों द्वारा पेश की गई चुनौतियों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए गहन घेराबंदी और तलाशी अभियान,जम्मू और कश्मीर में ऑपरेट कर रहे सभी सुरक्षा बलों के साथ तत्काल आसूचना संबंधी जानकारी साझा करना। इसके साथ ही अन्य रणनीतियों मे शामिल हैं-क्षेत्र में दिन और रात नियंत्रण और निगरानी, उपयुक्त तैनाती के माध्यम से सुरक्षा के प्रबंध, निवारक अभियान चलाना जिसमें आतंकवाद के रणनीतिक समर्थकों की पहचान करना और आतंकवादियों की सहायता करने और उन्हें उकसाने वाले तंत्रों का भंडाफोड़ करने के लिए जांच शुरू करना, नागरिकों पर आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए अति संवेदनशील स्थानों की पहचान करना और इस मुद्दे के बारे में लोगों को जमीनी स्तर पर जानकारी प्रदान करना और आतंकवादियों अथवा उनके परामर्शदाताओं के षडयंत्र को विफल करने के उपाय करना।

लोक सभा अता. प्र. सं. 2747 दिनांक 19.12.2023

उपर्युक्त रणनीतियों और कार्रवाइयों से जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाओं की संख्या में गिरावट आई है। विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	**2018**	**2023 (30 नवम्बर तक)**
आतंकवादियों द्वारा शुरू की गई घटनाएँ	228	43
मुठभेड़	189	48
नागरिको की हत्या	55	13
कार्रवाई में मारे गए सुरक्षा कर्मी	91	25

(स्रोत: सीआईडी, जम्मू और कश्मीर)

अनुच्छेद 370 की समाप्ति संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लिए एक परिवर्तनकारी चरण सिद्ध हुआ है, जिससे विकास, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक आयामों में व्यापक परिवर्तन देखे गए। बुनियादी ढांचे के अंतर्गत उल्लेखनीय सुधार में प्रधान मंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत 53 परियोजनाओं के कार्यान्वयन मे तेजी, उच्च और चिकित्सा शिक्षा बुनियादी ढांचे का संचालन, जलविद्युत परियोजनाओं का उल्लेखनीय विकास, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन सहित सड़क बुनियादी ढांचे में पर्याप्त वृद्धि, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना, और 'समग्र कृषि विकास योजना' को शुरू करना आदि । जम्मू और कश्मीर में स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति देखी गई है। विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के सफल कार्यान्वयन ने समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन की बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। विभिन्न आईटी पहलों, प्रौद्योगिकी एकीकरण और G2C ऑनलाइन सेवाओं के कारण अनुपालन और जवाबदेही में वृद्धि हुई है।

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर मे निवेश/ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 28,400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दिनांक 19.02.2021 को एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना अधिसूचित की है । इसके अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को निवेशक अनुकूल गंतव्य बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30, जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30, जम्मू और कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति 2021-30, जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाने हेतु नीति-2022, जम्मू और कश्मीर ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा नीति 2020 और निर्यात सब्सिडी योजना, 2021 जैसी अन्य विभिन्न पहलें की गई हैं। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष-वार निवेश का ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	**निवेश की राशि (करोड़ में)**
2019-20	296.64
2020-21	412.74
2021-22	376.76
2022-23	2153.00
2023-24 (31 अक्टूबर, 2023 तक)	2079.76
कुल	**5319.35**

****